न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

निगरानी-5072/2018/रीवा/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 20.07.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1764/अपील/17-18

प्रमोद कुमार पुत्र स्व. श्री अमृतलाल गुप्ता
निवासी ग्राम जवा तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. बाबूलाल
2. कस्तूरीलाल पुत्रगण मुन्नालाल
3. जवाहरलाल
5. सुमन
6. शिवदयाल

   3 से 6 के पिता स्व. मोतीलाल गुप्ता
7. मुस. बेबी पत्नी देवचन्द्र गुप्ता

   सभी निवासीगण ग्राम जवा तह. जवा
   जिला रीवा (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर

आदेश

(आज दिनांक 20.5.19 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1764/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-

राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार जवा के न्यायालय में ग्राम जवा की आराजी क्र. 1690/1 रकवा 0.207 एवं ग्राम बरौली की आराजी क्र. किता 10 कुल रकवा 3.767 हे. भूमि का संहिता की धारा 178, 109, 110 के तहत बंटवारा किए जाने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2018 द्वारा बंटवारा स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 12.07.2018 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 20.07.2018 द्वारा खारिज की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी के मुख्य आधार यह हैं कि अनावेदक क्र. 2 से 7 ने आवेदक को परेशान करने की नियत से व्यवहार न्यायालय त्योंथर के समक्ष निषेधाज्ञा का व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, जिसकी अपील अपर जिला न्यायाधीश रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा उक्त बिन्दु पर विचार किए बिना प्रश्नाधीन अवैधानिक आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने योग्य हैं।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि तहसील न्यायालय ने विधिवत सम्मन व सूचना अनावेदकगण को भेजी थी तथा इश्तहार का प्रकाशन भी कराया गया था तथ उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात विधि संगत आदेश पारित किया था। जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने विचार किए बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि तहसील न्यायालय के आदेशानुसार आवेदक का खाता पृथक हो चुका है तथा आदेशानुसार पृथक ऋण पुस्तिका बनाई जा चुकी है। तथा राजस्व् अभिलेख में भी प्रविष्ठि दर्ज हो गई है। लेकिन अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किए बिना तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयों का अभिलेख मंगाये बिना ग्राह्यता के बिन्दु पर ही अपील निरस्त करने में भूल की गई है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों का अवलोकन किया गया।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का अवलोकन किया । तहसीलदार न्यायालय ने एक ही सूचना पत्र में समस्त अनावेदकों को सूचना पत्र जारी किये है । उस सूचनापत्र पर किसी भी अनावेदक की तामिली नहीं है । चस्पा द्वारा बतायी गयी तामिली कहां चस्पा की गई है इसका भी कोई उल्लेख प्रकरण में नहीं है । पटवारी द्वारा द्वारा पुल्ली बंटवारा मौके पर तैयार करने हेतु पक्षकारों को जारी की गई सूचना दिनांक 10.11.17 निम्नानुसार है ।

" अत: दिनांक .....को समय साढे दस पर मौके से उपस्थित होकर कब्जा एवं हिस्सा अनुसार पुल्ली बंटवारा मौके पर बनाया जाए।"

यह सूचना तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ क्रमांक 2/22 पर संलग्न है। इस सूचना में पक्षकारों की उपस्थिति के हेतु कोई दिनांक अंकित नहीं है। मात्र समय 10:30 लिखा है। इसी से स्पष्ट होता है कि मौके पर बंटवारा पुल्ली तैयार करने हेतु अनावेदकगण को दी गई सूचना एक औपचारिक सूचना है जो केवल प्रकरण में संलग्न करने हेतु तैयार की गई है । इस सूचना पर भी

केवल आवेदक एवं अनावेदक क्र. 1 के हस्ताक्षर हैं। शेष अनावेदकों के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बंटवारा कार्यवाही केवल आवेदक की सहमति से उसी के अनुसार की गई है। बंटवारा आदेश से यह भी स्पष्ट है कि शामिल खाते में भूमि का असमान विभाजन किया है, जो नियमानुसार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में तहसील न्यायालय की कार्यवाही धारा 178 के अंतर्गत निर्मित नियम को अनुसार नहीं की गई है। अतएव अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने उक्त कार्यवाही निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी खारिज करते हुए आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाता है। जहां तक पक्षकारों के मध्य व्यवहार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित वाद का प्रश्न है। यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होते हैं। उक्त लंबित विवादों के अंतिम निर्णय के अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाए। यदि किसी पक्षकार द्वारा खाते के विभाजन हेतु नये सिरे से आवेदन किया जाता है तो तहसीलदार भू-राजस्व संहिता की धारा 178 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे ।

(बी.एम. शर्मा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर